Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JULY-AUGUST, 2022, VOL- 10/72

वाराणसी में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि एवं विकास (1850 ई० से 2017 ई० तक): एक ऐतिहासिक अध्ययन

अभय कुमार शर्मा
शोध छात्र, शिक्षा संकाय, कमच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय

Paper Received On: 25 AUGUST 2022
Peer Reviewed On: 31 AUGUST 2022
Published On: 01 SEPTEMBER 2022

Abstract

प्राचीन काल से ही वाराणसी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आधुनिक काल में भी यह अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। वर्ष 1954 ई० में वुड डिस्पैच में तत्कालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गए। इस क्रम में डिस्पैच ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत योग्य अध्यापकों की कमी को बताते हुए इस हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देने की बात की। इसके अंतर्गत शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के स्थापना का सुझाव दिया। इसके उपरांत डिस्पैच में दिए गए सुझावों के अनुपालन में देश के सभी प्रांतों में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। प्रस्तुत शोध-पत्र में वाराणसी में 1850 ई० के उपरांत स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में हुई वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्दः *वाराणसी, शिक्षक-शिक्षा, ऐतिहासिक अध्ययन।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

आधुनिक भारत में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का इतिहास एक नवीन प्रक्रम है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के अनुसार- वर्ष 1716 ई० में डेनिश मिशनरियों ने शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रानक्केबार में एक संस्था खोली (पृ० 11)। डेनिश मिशनरियों द्वारा प्रारम्भ किए गए इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। शार्प (1920) के अनुसार सर थॉमस मुनरो ने, 10 मार्च 1826 के अपने विवरण पत्र में लिखा है कि- जन कार्यालयों हेतु अच्छे शिक्षित व्यक्ति तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि बेहतर प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोला जाए(पृ० 74)। मुनरो महोदय ने जो विचार प्रस्तुत किया उसे साकार होने में लगभग तीन दशक का

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समय लग गया। शार्प (1920) के अनुसार वुड ने अपने घोषणा पत्र-1854 में लिखा है कि- हमारा वर्तमान उद्देश्य शिक्षकों को सुधारने का होना चाहिए, उन्हें नॉर्मल स्कूल एवं कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए (पृ० 384)। वुड के इस आदेश के समर्थन में लार्ड डलहौजी-1854 ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि- नॉर्मल स्कूलों की स्थापना बहुत अधिक आवश्यक है (पृ० 406) । इसके बाद मद्रास में वर्ष 1856 ई० में पहला प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी नॉर्मल स्कूल खोला गया, जिसका नाम वर्ष 1886 में परिवर्तित होकर टीचर्स कॉलेज हो गया (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग,1948-49, पृ० 183)। 1859 ई० के घोषणा पत्र में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना के सन्दर्भ में लिखा है कि-एक स्कूल की स्थापना बंगाल में, एक स्कूल की स्थापना बनारस तथा दो स्कूलों की स्थापना अन्य प्रान्तों के भीतर की गई (शार्प,1920, पृ० 434)। 19वीं शताब्दी में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, वह 20 वीं शताब्दी में भी प्रगतिशील रही। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के अनुसार- वर्ष 1906, 1908 में क्रमशः बम्बई एवं कोलकाता में ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया (पृ० 183)। स्वतंत्र भारत में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के साथ-साथ इन संस्थाओं के संगठनात्मक पक्षों के विकास पर भी ध्यान दिया जाने लगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के अनुसार- शिक्षक प्रशिक्षण हेतु केवल दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए, प्रथम प्रकार के संस्था में दो वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए एवं द्वितीय प्रकार के संस्था में केवल एक वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए (पृ० 166) । इस संदर्भ में कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार-प्रत्येक चयनित विश्वविद्यालयों में शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास हेतु एक विभाग अथवा संस्था अथवा स्कूल ऑफ एजुकेशन में से कोई एक स्थापित किया जाना चाहिए (पृ० 69)। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में अनुशंसा की गई है कि-प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए (पृ० 32)। इसके पश्चात देश में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986: क्रियान्वयन योजना-1992 के अनुसार-मार्च 1992 तक 306 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित थे (पृ० 32)। इन सभी संस्थाओं में समान रूप से शिक्षक-शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद-कानून पारित किया गया।

विगत 150 वर्षों में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुए उससे सम्बन्धित शोध अध्ययनों की समीक्षा से सम्बन्धित साहित्य समीक्षा से ज्ञात हुआ कि अधिकांश शोध कार्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की वृद्धि के संदर्भ में किए गए थे, उनमें से तीन शोध कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं सात शोध कार्य शिक्षक-शिक्षा की वृद्धि के संदर्भ में किया गया था। साहित्य समीक्षा के अंतर्गत दो शोध अध्ययन ऐसे प्राप्त हुए जिसमें वाराणसी में शिक्षा के विकास के संदर्भ में अध्ययन किया गया था। एक शोध अध्ययन बुच

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(1984) के अनुसार- ब्यास (1975) ने 1904 ई० से 1947 ई० के बीच वाराणसी में प्रचलित शिक्षा के प्राचीन एवं आधुनिक प्रवृत्ति का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया, जबकि दूसरे शोध अध्ययन में सिंह (1993) ने काशी के 3 विश्वविद्यालयों का व्यक्ति वृत अध्ययन किया था। इन सम्बन्धित साहित्यों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि वाराणसी में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में अध्ययन नहीं किया गया था, जबकि विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आया कि वाराणसी में शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन मात्र सरकारी संस्थाओं में ही नहीं वरन् निजी संस्थाओं में भी हो रहा था तथा ऐसे संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि भी हुई थी। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आये इस परिवर्तन एवं संबंधित साहित्य समीक्षा से ज्ञात अध्ययन क्षेत्र में रिक्तता के आधार पर निम्नलिखित शोध प्रश्न निर्धारित किये गये थे:

1. वाराणसी में वर्ष 1850 ई०से 2017 ई० तक शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में वृद्धि की क्या स्थिति है?

2. वाराणसी में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के विकास में स्थानीय सरकारों, संगठनों एवं व्यक्तियों आदि का क्या योगदान रहा है?

शोध अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन की आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया-

1. वाराणसी में 1850 ई० के उपरान्त स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के चिन्हिकरण, एवं वर्गीकरण के आधार पर उनकी वृद्धि ज्ञात करना।

2. वाराणसी शहर में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन में स्थानीय सरकारों, संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा दिए गए योगदान के अध्ययन द्वारा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को ज्ञात करना।

शोध अध्ययन हेतु मान्यता

1850 ई० से अद्यतन शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं विकास में व्यक्तियों, संगठनों एवं सरकारों ने योगदान दिया है। इसे विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं व्यक्तियों के सम्पर्क द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

शोध अध्ययन की प्रविधि

- **शोध विधि**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वाराणसी शहर में विगत 150 वर्षों में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में हुई वृद्धि एवं विकास को ज्ञात किया गया है, जो एक ऐतिहासिक अध्ययन है। अतः इस

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दृष्टिकोण से प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऐतिहासिक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। 150 वर्ष के लंबे अंतराल के अध्ययन को देखते हुए, सुविधा के लिए इसे तीन काल खंडों - 1850 ई० से 1900 ई० तक, 1901 ई० से 1950 ई० तक और 1951 ई० से 2017 ई० तक में बांटकर अध्ययन किया गया है।

- **साक्ष्य संग्रहण**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्ष्यों के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ वाराणसी के शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में योगदान देने वाले व्यक्तियों से जुड़े ऐसे व्यक्ति, जो आज जीवित हैं उनसे सपर्क कर, वाराणसी के शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में योगदान देने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गये योगदानों के सम्बंध में मौखिक वृत्तांत प्राप्त किया गया। प्राथमिक स्रोत के रूप में वाराणसी के विभिन्न सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं (कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों) से संपादित विभागीय प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, विवरण पत्र को संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों से शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्राप्त किया एवं इसके अतिरिक्त सरकार एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, गजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन आदि को वाराणसी के क्षेत्रिय अभिलेखागार, ऑनलाइन अभिलेखागार एवं गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे के ऑनलाइन लाइब्रेरी से प्राप्त किया। द्वितीयक स्रोत के रूप में मुख्यतः प्रकाशित पुस्तकों का प्रयोग किया गया है। इन्हे ऑनलाइन अभिलेखागार एवं गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे के ऑनलाइन लाइब्रेरी से प्राप्त किया।

- **साक्ष्यों का विशलेषण**

प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त साक्ष्यों की वाह्य आलोचना एवं आन्तरिक आलोचना करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी व्याख्या की गई है।

- **जनसंख्या एवं प्रतिदर्श**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या एवं प्रतिदर्श के अंतर्गत वाराणसी में संचालित सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन के परिणाम

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यवार परिणाम अधोलिखित हैं –

प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित परिणाम

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य "वाराणसी में 1850 ई० के उपरान्त स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के चिन्हिकरण, एवं वर्गीकरण के आधार पर उनकी वृद्धि ज्ञात करना" था। इस उद्देश्य से सम्बन्धित प्राप्त परिणाम निम्नवत है:

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

1. वर्ष 1850 ई० से 1900 ई० तक की अवधि में वाराणसी में स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में हुई वृद्धि।

वर्ष 1850 ई० से 1900 ई० तक वाराणसी में कुल तीन शिक्षक-शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना की गई थी। इसमें से एक सरकार द्वारा एवं अन्य दो चर्च मिशनरी सोसायटी द्वारा संचालित थे। इनमें से दो संस्थाएं पुरुषों के लिए एवं एक महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान, 1857 ई० में स्थापित 'सरकारी नॉर्मल स्कूल' था, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। चर्च मिशनरी सोसायटी द्वारा संचालित संस्थाओं में एक पुरुषों के लिए स्थापित नॉर्मल स्कूल एवं दूसरा महिलाओं के लिए स्थापित नॉर्मल स्कूल था। महिलाओं हेतु स्थापित नॉर्मल स्कूल 'द फीमेल नॉर्मल स्कूल, सिगरा' के नाम से जाना जाता था, जिसमें क्रिस्चियन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था। इन नॉर्मल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक, वर्नाकुलर विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त किए जाते थे।

2. वर्ष 1901 ई० से 1950 ई० तक की अवधि में वाराणसी में स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में हुई वृद्धि।

वर्ष 1901 ई० से 1950 ई० के पूर्व की अवधि में, जहां वाराणसी में मात्र नॉर्मल स्कूल स्थापित किए गए थे वहीं इस अवधि में प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों के अतिरिक्त ट्रेनिंग कक्षाओं एवं स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। ट्रेनिंग कक्षाओं एवं स्कूलों में प्रशिक्षण के उपरांत प्राइमरी टीचर्स सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाती थी, जबकि ट्रेनिंग कॉलेज में लाइसेंसिएट इन टीचिंग/बैचलर ऑफ टीचिंग की उपाधि प्रदान की जाती थी। ट्रेनिंग कक्षाओं के अंतर्गत लोअर प्राइमरी टीचर्स ट्रेंनिंग क्लास और बेसिक ट्रेनिंग क्लास की स्थापना की गई। 31 मार्च 1917 ई० तक वाराणसी में कुल 29 लोअर प्राइमरी टीचर्स ट्रेंनिंग कक्षाओं का संचालन हो रहा था। बेसिक ट्रेनिंग क्लास की स्थापना 1938 ई० में हुई थी, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के अंतर्गत 1907 ई० में एक सेंट्रल ट्रेंनिंग स्कूल स्थापित किया गया। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण का प्रदान किया जाता था। ट्रेनिंग कॉलेज के अंतर्गत 1918 ई० में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें स्नातक पास विद्यार्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश किया जाता था। यह सभी संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में संचालित होती थी। इसके अतिरिक्त निजी संस्थान कटिंग मेमोरियल हाई स्कूल था, जिसमें 1931 ई० में पुरुष शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुभाग की स्थापना की गई थी।

3. वर्ष 1951 ई० से 2017 ई० तक की अवधि में वाराणसी में स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में हुई वृद्धि।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वर्ष 1951 ई० से 2017 ई० के मध्य वाराणसी में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल, जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज एवं पूर्व से स्थापित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में शिक्षा-शास्त्र विभाग की स्थापना की गई। इन सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में से, 9 संस्थाएं ऐसी थी, जो सरकार द्वारा नियंत्रित थी। 2 संस्थाएं ऐसी थी, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त थी एवं शेष 2 संस्थाएं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थे। नॉर्मल स्कूलों के अंतर्गत वर्ष 1958-59 ई० में सरकारी नॉर्मल स्कूल, ज्ञानपुर की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त एक नॉर्मल स्कूल पूर्व से संचालित होता आ रहा था। जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज के अंतर्गत वर्ष 1958-59 ई० में गवर्नमेंट जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज, सकलडीहा की स्थापना की गई थी। ट्रेनिंग कॉलेज के अंतर्गत वर्ष 1959-60 ई० में बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, वाराणसी एवं 1990 ई० में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सारनाथ की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त एका एल०टी० ट्रेनिंग कॉलेज, इस अवधि के पूर्व से संचालित होता आ रहा था। पूर्व से स्थापित कालेजों के अंतर्गत प्रारंभ किए गए शिक्षाशास्त्र विभागों के अंतर्गत, हरिशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट, आर्य महिला पी०जी० कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग की स्थापना क्रमश: 1960 ई०, 1972 ई०, 1973 ई० एवं 1974 ई० में की गई थी। पूर्व से स्थापित विश्वविद्यालयों के अंतर्गत वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ में शिक्षा-शास्त्र विभाग की स्थापना क्रमश: 1958 ई०, 1983 ई० एवं 2012 ई० में की गई थी। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के उपरांत, नॉर्मल स्कूलों में हिंदुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट, जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज में जूनियर टीचर्स सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग कॉलेजों में लाइसेंसिएट इन टीचिंग एवं बी०टी०सी० और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थापित शिक्षा शास्त्र विभागों में बैचलर ऑफ टीचिंग (बी०एड०) की उपाधि प्रदान की जाती थी।

वर्ष 2017 ई० तक वाराणसी में सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कुल 10 शिक्षक-शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे थे। जिनका संख्यात्मक वर्गीकरण- प्रबंधन का प्रकार, संस्थान का प्रकार, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का प्रकार एवं प्रदत उपाधि के प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित है-

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका संख्या-1

वर्ष 2017 ई० तक वाराणसी में संचालित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं का वर्गीकरण

प्रबंधन का प्रकार				संस्थान का प्रकार		शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का प्रकार		प्रदत उपाधि		
केंद्र सर-कार	राज्य सर-कार	राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	बी० एच० यू० से सम्बद्ध	विश्वविद्यालय	कॉलेज	सेवा-पूर्व	सेवा-पूर्व एवं सेवा-रत	बी० एड०	डी० एल० एड०	बी०ए० बी०एड० / बी० एससी० बी०एड०
2	4	2	2	4	6	8	2	7	2	1

तालिका संख्या 1 से यह ज्ञात होता है कि प्रबंधन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित 2 संस्थाएं, राज्य सरकार द्वारा संचालित 4 संस्थाएं और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 2 संस्थाएं हैं। संस्थाओं के प्रकार के आधार पर 4 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थापित शिक्षा-शास्त्र विभाग और शेष कॉलेज अथवा कालेजों के अंतर्गत स्थापित शिक्षा शास्त्र विभाग हैं। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर 8 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है और शेष दो संस्थाओं में सेवा-पूर्व एवं सेवारत दोनों ही प्रकार के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इन संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली उपाधि के आधार पर 7 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें बी०एड० की उपाधि प्रदान की जाती है, 2 शिक्षक शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें डी०एल०एड० की उपाधि और एक शिक्षक शिक्षा संस्थान ऐसा है जिसमें बी०ए० बी०एड०/ बी०एससी० बी०एड० की उपाधि प्रदान की जाती है। ये संस्थाएं क्रमश: शिक्षा-शास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; शिक्षक शिक्षा केंद्र, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी; शिक्षा-शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी; शिक्षा-शास्त्र विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी; शिक्षा-शास्त्र विभाग, हरिशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी; उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी;

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शिक्षा-शास्त्र विभाग, बसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी; शिक्षा-शास्त्र विभाग, आर्य महिला पी०जी० कॉलेज, वाराणसी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, वाराणसी; जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सारनाथ, वाराणसी हैं।

द्वितीय उद्देश्य से सम्बन्धित परिणाम

प्रस्तुत शोध अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य "वाराणसी में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन में स्थानीय सरकारों, संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा दिए गए योगदान के अध्ययन द्वारा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को ज्ञात करना" था। इसकी विधिवत एवं व्यवस्थित व्याख्या चतुर्थ अध्याय के अनुभाग 4.2 में दी गई है। इस प्रकार इस उद्देश्य से सम्बन्धित अनुभाग 4.2 के आधार पर प्राप्त परिणाम निम्नवत है:

1. स्थानीय सरकार द्वारा दिए गए योगदान

- **पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, नॉर्थवेस्टर्न प्रोविंसेस (यूनाइटेड प्रोविंसेज)**

इस विभाग की स्थापना वर्ष 1854 ई० में की गई थी। इसके द्वारा संपूर्ण नॉर्थवेस्टर्न प्रांत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं का अधीक्षण एवं निरीक्षण किया जाता था। इस क्रम में वाराणसी में विभिन्न समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों एवं कक्षाओं को प्रारंभ करने एवं इनके सुचारू रूप से संचालन में इस विभाग का विशेष योगदान रहा। नॉर्मल स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि कीं ब्यवस्था, भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी इसी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाती थी।

- **शिक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश**

स्वतंत्र भारत में यूनाइटेड प्रोविंसेज 'उत्तर प्रदेश' के नाम से जाना गया। यहां पर प्रांतीय सरकार के गठन के उपरांत शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु एक शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नये नॉर्मल स्कूलों एवं ट्रेनिंग स्काड्स को प्रारंभ करने एवं इस हेतु शिक्षकों की आपूर्ति, पाठ्यचर्या में सुधार, भूमि खरीद, भवन निर्माण एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया।

2. स्थानीय संगठन द्वारा दिए गए योगदान

- **आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, वाराणसी**

आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, वाराणसी की स्थापना स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी द्वारा किया गया था। यह महापरिषद महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति और मानवीय

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मूल्यों को संरक्षित करने का कार्य करती है। इस महापरिषद द्वारा आर्य महिला पी०जी० कॉलेज की स्थापना वर्ष 1932 ई० में एक बालिका प्राथमिक विद्यालय के रूप में की गई थी। इसे विद्यालय स्तर से कॉलेज स्तर तक विकसित करने में महापरिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

3. व्यक्तियो द्वारा दिए गए योगदान

- **सुश्री शुभदा तैलंग**

सुश्री शुभदा तैलंग, वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट, वाराणसी की प्रथम प्राचार्या थीं। इन्होंने इस पद को वर्ष 1954 ई० से लेकर वर्ष 1974 ई० तक सुशोभित किया। प्राचार्य पद के लंबे कार्यकाल के अंतिम दौर में आपने अपने दृढ़ प्रयास से बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु बी०एच०यू० द्वारा मान्यता दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। इसके उपरांत सत्र 1973-74 से वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट वाराणसी में महिला अभ्यर्थियों के लिए एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ।

- **श्रीमती विद्या देवी**

श्रीमती विद्या देवी बिहार प्रांत की रहने वाली थी। आपका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। विवाह के कुछ समय उपरांत पति की मृत्यु हो जाने कारण आप बचपन में ही विधवा हो गई थी। इसके उपरांत आप स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का नाम सुनकर वाराणसी में आई और स्वामी जी की अनुयायी बनी, और कालांतर में आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, वाराणसी की एक सक्रिय सदस्य भी बनीं। इन्होने स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी द्वारा स्थापित बालिका विद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाओं को प्रारंभ कराने और वर्ष 1974 ई० में आर्य महिला डिग्री कॉलेज में शिक्षा-शास्त्र विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- **डॉ० राजनाथ सिंह**

डॉ० राजनाथ सिंह उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्होने लगभग 20 वर्षों तक इस पद को सुशोभित किया। इतने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस महाविद्यालय को लोकप्रिय बनाने और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा-शास्त्र विभाग की स्थापना को मूर्त रूप दिया और इसे गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्थायी मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **प्रो० द्रुध नाथ चतुर्वेदी**

प्रो० दूधनाथ चतुर्वेदी एक विख्यात शिक्षाविद थे, जो 1 नवम्बर 1982 ई० से 4 अगस्त 1986 ई० तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के उप-कुलपति रहे। इन्होने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षकों के

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति प्राप्त की और इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में शिक्षा-शास्त्र विभाग की स्थापना की। उस समय इस विभाग को अस्थाई रूप से ही मान्यता प्राप्त हुई थी।

- **प्रो० विद्यानिवास मिश्र**

प्रो० विद्यानिवास मिश्र संस्कृत और हिंदी साहित्य के विख्यात विद्वान और भाषाविद थे। आपने 15 अगस्त 1986 ई० से 31 जुलाई 1989 ई० तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के उप-कुलपति पद को सुशोभित किया। अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा-शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो अभी तक अस्थाई रूप से संचालित हो रहा था, उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थाई मान्यता दिलवाई और इसके साथ ही साथ इस विभाग में कुछ नए पदों को भी सृजित किया।

अध्ययन के निष्कर्ष

उपरोक्त परिणामों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत हैं:

1. वाराणसी में 1850 ई० से 2017 ई० के मध्य मुख्य रूप से दो प्रकार की शिक्षक-शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई थी, जिनमें से एक नॉर्मल स्कूल एवं दूसरा ट्रेनिंग कॉलेज था। किंतु प्रस्तुत शोध अध्ययन के विभिन्न काल खंडों में संस्थाओं के प्रकार में थोड़ी भिन्नता पाई गई। वर्ष 1850 ई० से 1980 ई० के मध्य वाराणसी में केवल नॉर्मल स्कूलों की स्थापना हुई थी। 1901 ई० से 1950 ई० के मध्य नॉर्मल स्कूलों के अतिरिक्त नॉर्मल कक्षाओं एवं ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना की गई। वर्ष 1951 ई० से 2017 ई० के मध्य वाराणसी में चार प्रकार की शिक्षक-शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई, जो नॉर्मल स्कूल, जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, एवं कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्थापित शिक्षा-शास्त्र विभाग थे। ब्रिटिश शासन के दौरान नॉर्मल स्कूलों में प्रशिक्षण के उपरांत वर्नाकुलर टीचर्स सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाती थी, किंतु स्वतंत्र भारत में इसका नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट रखा गया। नॉर्मल कक्षाओं में प्रशिक्षण के उपरांत प्राइमरी टीचर्स सर्टिफिकेट, जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण के उपरांत जूनियर टीचर सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग कॉलेजों में लाइसेंसिएट इन टीचिंग(एल०टी०) की उपाधि प्रदान की जाती थी। वाराणसी में, वर्ष 2017 ई० में दो प्रकार की शिक्षक-शिक्षा संस्थान संचालित हो रही थी जो, ट्रेनिंग कॉलेज और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्थापित शिक्षा-शास्त्र विभाग थे। ट्रेनिंग कॉलेजों में सेवा-पूर्व एवं सेवा-रत दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते थे, जबकि कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्थापित शिक्षा-शास्त्र विभाग में केवल सेवा-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के उपरांत बी०एड०/ डी०एल०एड०/बी०ए०बी०एड०/बी०एससी० बी०एड० की उपाधि प्रदान की जाती थी।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2. वाराणसी में 1850 ई० से 2017 ई० के मध्य शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में धीमी किंतु क्रमिक वृद्धि हुई। वर्ष 1850 ई० से 1900 ई० के दौरान वाराणसी में प्रथम नॉर्मल स्कूल की स्थापना वर्ष 1857 ई० में की गई। इसके उपरांत वर्ष 1861 ई० में दो अन्य नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की गई। इस प्रकार इस अवधि में कुल 3 नॉर्मल स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें से दो पुरुषों के लिए एवं एक महिलाओं के लिए था। वर्ष 1901 ई० से 1950 ई० के प्रारंभ में संपूर्ण देश में लोकल एवं म्युनिस्पल बोर्ड द्वारा नॉर्मल कक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसके कारण इस अवधि के प्रथम दो दशकों में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में तीव्र वृद्धि हुई। किंतु इसके उपरांत इन कक्षाओं में तेजी से कमी भी आई। ऐसे नॉर्मल कक्षाओं का आयोजन वाराणसी में भी किया गया, जिनकी संख्या वर्ष 1917 ई० में 29 थी। इसके अतिरिक्त चार अन्य संस्थाएं भी स्थापित की गई थी, जिनमें सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉलेज, द कटिंग मेमोरियल हाई स्कूल में प्रशिक्षण अनुभाग एवं बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज थे। वर्ष 1951 ई० से वर्ष 2017 ई० के दौरान वाराणसी में स्थापित शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में पूर्व अवधि की तुलना में थोड़ी तीव्र वृद्धि पाई गई। इस अवधि में विभिन्न समयों पर सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11 शिक्षक-शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई, जिनमें से नॉर्मल स्कूल, जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज एवं कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालयों में स्थापित शिक्षा शास्त्र विभाग थे। वर्ष 2017 ई० में वाराणसी में सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की कुल संख्या 10 थी।

3. वर्ष 1850 ई० से लेकर वर्ष 2017 ई० तक वाराणसी में शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के विकास में भिन्न-भिन्न समय पर स्थानीय सरकारों, संगठनों एवं व्यक्तियों आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकारी प्रयास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में नॉर्थवेस्टर्न प्रांत द्वारा स्थापित पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एवं स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए योगदान प्रमुख हैं। इन दोनो विभागों द्वारा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को प्रारंभ करने एवं इनके सुचारू रूप से संचालन हेतु भूमि की व्यवस्था, भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाती थी। शिक्षक-शिक्षा के विकास में स्थानीय संगठन के रूप में, आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, वाराणसी का नाम प्रमुख है, जिसके द्वारा यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु आर्य महिला पी०जी० कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के विकास में वाराणसी के जिन महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया उनमें प्रमुख हैं- सुश्री सुभदा तैलंग, श्रीमती विद्या देवी, डॉ० राजनाथ सिंह, प्रो० दूधनाथ चतुर्वेदी, प्रो० विद्यानिवास मिश्र।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संदर्भ ग्रंथ

प्राथमिक स्रोत

एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट (1883). रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन-1882 (भाग एक). कलकत्ता: मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन

नार्थ वेस्टर्न एण्ड अवध एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एण्ड अवध प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेंस टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस्ड टू द एजुकेशन कमिशन. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 491.

कॉन्स्टेबल, ई०टी० (1890). जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध फॉर द ईयर 1889-90. इलाहाबाद: नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध प्रेस.

बोटफ्लावर, दब्ल्यू०एन० (1901). जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध फॉर द ईयर 1900-01. इलाहाबाद: नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध प्रेस.

फोसे, सी०एफ० (1910). जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ आगरा एंड अवध फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1910. इलाहाबाद: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, यूनाइटेड प्रोविंसेज.

मैकेंजी, ए०एच० (1922). जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ आगरा एंड अवध फॉर द क्विक्वेनियम एंडिंग 31 मार्च 1922. इलाहाबाद: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, यूनाइटेड प्रोविंसेज.

मैकेंजी, ए०एच० (1927). जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ आगरा एंड अवध फॉर द क्विक्वेनियम एंडिंग 31 मार्च 1927. इलाहाबाद: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, यूनाइटेड प्रोविंसेज.

उत्तर प्रदेश सरकार (1954). एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 1950-51. लखनऊ: सुपरिंटेंडेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी.

उत्तर प्रदेश सरकार (1958). एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 1954-55. इलाहाबाद: सुपरिंटेंडेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी.

उत्तर प्रदेश सरकार (1967). एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 1959-60. इलाहाबाद: सुपरिंटेंडेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी.

उत्तर प्रदेश सरकार (1970). एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 1962-63. इलाहाबाद: सुपरिंटेंडेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी.

द्वितीयक स्रोत

रिक्टर, डी०डी०जे० (1908). ए हिस्ट्री ऑफ मिशन इन इंडिया. न्यूयॉर्क: फ्लेमिंग एच० रिवेल कंपनी.

शार्प, एच० (1920). सेलेक्शंस फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स पार्ट 1 (1781-1839). कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग.

रिचे, जे०ए० (1922). सेलेक्शन फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, पार्ट 2 (1840-1859). कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग.

नुरुल्लाह एवं नायक (1943). हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. बम्बई: मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड.

दत्त, यू०सी० (1957). एजुकेशनल सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश. इलाहाबाद: द इण्डियन प्रेस प्रा० लि०.

मोतीचंद्र (1962). काशी का इतिहास. बम्बई: हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड.

जोशी, ई०बी० (1965). उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स वाराणसी. लखनऊ: गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश.

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नाथ, जी० (2010-11). मील के पत्थर: डॉ० राजनाथ सिंह. सिंह,जी०सी० (2010-11). उदय श्री. वाराणसी: प्राचार्य, उदय प्रताप कॉलेज में (पृ० 18-20).

शिवपुरी, वी० (2013-14). वसंता कॉलेज फॉर वूमेन: हंड्रेड ग्रोसरी इयर्स. वसंता कॉलेज फॉर वूमेन (2013-14). वासंतिका, द सेंटेनरी सोवेनियर.वाराणसी: स्वयं.

गिरी, के० (2020). सुश्री शुभदा तैलंग. वसंता कॉलेज फॉर वूमेन (2020). वासंतिका 2020.वाराणसी: स्वयं.

भारत सरकार (1962). विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.

भारत सरकार (1953). माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.

भारत सरकार (1966). शिक्षा आयोग-1964-66. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.

भारत सरकार (1992). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (संशोधित, 1992). नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies